न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 156/2021 (Bank Case)

GCMS no – 2021/312

पंजाब नेशनल बैंक एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं–04, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 व शाखा कार्यालय– पंजाब नेशनल बैंक, अनन्तपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री निर्मल कुमार मेहरा पुत्र श्री नन्द किशोर मेहरा (ऋणी/बंधनकर्ता)
   पताः मं.नं. 95, प्रताप नगर–1, देवली अरब रोड, बोरखेडा, कोटा–324005
2. श्रीमती नीरू कुमारी पत्नी श्री निर्मल कुमार मेहरा (सह–ऋणी)
   पताः मं.नं. 95, प्रताप नगर–1, देवली अरब रोड, बोरखेडा, कोटा–324005

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 14.1.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पंजाब नेशनल बैंक,जिसका प्रधान कार्यालय प्लॉट नं–04, सेक्टर 10, द्वारका, न्यू दिल्ली–110075 व शाखा कार्यालय– पंजाब नेशनल बैंक, अनन्तपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने खाता संख्या HL529400NC00004430 में दिनांक 20.02.2016 को 14,90,000/– (अक्षरेः चोदह लाख नब्बे हजार मात्र) एंव खाता संख्या HLOD5294009900000565 में दिनांक 20.02.2016 को 20,00,000/– (अक्षरेः बीस लाख मात्र) कुल ऋण रूपये 34,90,000 (अक्षरेः चौतीस लाख नब्बे हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री निर्मल कुमार मेहरा पुत्र श्री नन्द किशोर मेहरा की सम्पत्ति मकान नं. 95, प्रताप नगर–1, ठेकडा, कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 133.33 वर्ग गज है जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2014 से श्री निर्मल कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द किशोर मेहरा के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– प्लॉट नं. 96, दक्षिण :– प्लॉट नं. 94, पूर्वः– प्लॉट नं. 88, पश्चिमः– रोड है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 31.03.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाता संख्या HL529400NC00004430 में 14,15,354.37/– (अक्षरेः चोदह लाख पन्द्रह हजार तीन सो चोपन व सेतीस पैसे मात्र) एंव खाता संख्या HLOD5294009900000565 में 22,17,151.22/–(अक्षरे रूपये बाईस लाख, सत्रह हजार, एक सौ इक्यावन रूपये व बाईस पैसे मात्र), कुल ऋण रूपये 36,32,505.59 (अक्षरे रूपये छतीस लाख, बत्तीस हजार, पाच सौ पाच रूपये व उनसठ पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 11.05.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 12.05.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट

राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 12.05.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 12.05.2021 को नोटिस भी प्रेषित किये गय जो अप्रार्थी को तामिल हुए, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता **श्री निर्मल कुमार मेहरा पुत्र श्री नन्द किशोर मेहरा की सम्पत्ति मकान नं. 95, प्रताप नगर–1, ठेकडा, कोटा राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका क्षैत्रफल 133.33 वर्ग गज है जो जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2014 से श्री निर्मल कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द किशोर मेहरा के नाम से है। जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तरः– प्लॉट नं. 96, दक्षिण :– प्लॉट नं. 94, पूर्वः– प्लॉट नं. 88, पश्चिमः– रोड है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 14/1/.2022 को सुनाया गया।

14/1/22

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)